भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 739

जिसका उत्तर 8 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है।

17 अग्रहायण, 1945 (शक)

अश्लील सामग्री का ऑनलाइन प्रसार

739. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट नीति/दिशानिर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसी किसी नीति को अमल में लाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास सोशल मीडिया एप्स के माध्यम से अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रसार करने के संबंध में दर्ज किए गए मामलों की संख्या का कोई रिकॉर्ड है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (घ): भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में इंटरनेट खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और सभी प्रयोक्ताओं के प्रति जवाबदेह हो। यौन रूप से स्पष्ट कृत्य को दर्शाने वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण, एक साइबर अपराध है। सरकार की ऐसे किसी भी साइबर अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है।सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") में इस तरह के कार्य के लिए दंड और सजा का प्रावधान है और यह सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर नियम 3 (1) (ख) के अनुसार उचित सावधानी बरतने का दायित्व भी डालता है और यह प्रावधान करता है कि , मध्यस्थों द्वारा आईटी नियमों में यथा अपेक्षित सम्यक सावधानी का पालन करने में विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम 2021, की धारा 79 के तहत अपना सुरक्षा प्रश्रय खो देंगे और आईटी नियम, 2021 के नियम 7 के अनुसार आईटी अधिनियम, 2000, आईटी नियम, 2021, भारतीय दंड संहिता, 1860 और अन्य लागू कानूनों में प्रदान की गई परिणामी

कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। इस तरह की सम्यक तत्परता में यह शामिल है कि यदि कोई महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ मुख्य रूप से मैसेजिंग की प्रकृति में सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो बलात्कार, यौन रूप से स्पष्ट सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच, अभियोजन या सजा के प्रयोजनों के लिए अपने कंप्यूटर संसाधन पर जानकारी के पहले प्रवर्तक की पहचान करने में सक्षम होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") ने एक साथ मिलकर एकअवसंरचना बनायी है, जो सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर दायित्वों को डालता है, ताकि वे उचित सावधानी बरतें और यह प्रावधान करें कि यदि वे इस तरह की सम्यक तत्परता का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें तीसरे पक्ष की जानकारी या डेटा या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए कानून के तहत उनके दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी। इस तरह की सम्यक तत्परता में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) उपयोगकर्ताओं को ऐसी कोई जानकारी जो बच्चे के लिए हानिकारक, या अश्लील, या किसी अन्य की शारीरिक गोपनीयता के खिलाफ है, या किसी भी कानून का उल्लंघन करती है को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, संग्रहीत, अद्यतन या साझा नहीं करने के लिए उचित प्रयास करना;

(ii) उपरोक्त के उल्लंघन पर स्वैच्छिक आधार पर, और उचित सरकार या उसकी एजेंसी से शिकायत या अदालत का आदेश या नोटिस प्राप्त होने पर वास्तविक ज्ञान पर, शालीनता या नैतिकता या मानहानि के हित के संबंध में लागू समय के लिए कानून के तहत निषिद्ध गैरकानूनी जानकारी को होस्ट, भंडारित या प्रकासहित नहीं करना ;

(iii) कानूनी रूप से अधिकृत सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने पर, 72 घंटों के भीतर समयबद्ध तरीके से कानून के तहत रोकथाम, पता लगाने, जांच या अभियोजन के लिए सूचना या सहायता प्रदान करना;

(iv) एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, और रिपोर्ट किए जाने के 72 घंटों के भीतर नियमों के उल्लंघन की शिकायतों का समाधान करना और किसी व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शिकायत के मामले में, 24 घंटे के भीतर किसी भी सामग्री को हटा देना जो प्रथम दृष्टया ऐसे व्यक्ति के निजी क्षेत्र को उजागर करता है, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक नग्नता में दिखाता है या किसी भी यौन कृत्य या आचरण में ऐसे व्यक्ति को दिखाता है या चित्रित करता है; इसके अलावा, 28.10.2022 को ऐसी शिकायतों पर शिकायत अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं को अपील करने की अनुमति देने के लिए एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों (समितियों) की स्थापना का प्रावधान करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है;

(v) यदि कोई मध्यस्थ एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ है (यानी, भारत में 50 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाला मध्यस्थ), तो वह अतिरिक्त रूप से एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24x7 समन्वय के लिए एक नोडल संपर्क व्यक्ति और एक निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के मामले में उचित सावधानी बरतेगा और स्वचालित उपकरण या अन्य तंत्र सहित प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को लागू करने का प्रयास करेगा हैं, जो बाल यौन शोषण या आचरण को दर्शाने वाले किसी भी रूप में किसी भी कार्य या सिमुलेशन को चित्रित करने वाली जानकारी की सक्रिय रूप से पहचान करते हैं।

(vi) यदि कोई महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ मुख्य रूप से संदेश की प्रकृति में सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो बलात्कार, यौन रूप से स्पष्ट सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच, अभियोजन या सजा के प्रयोजनों के लिए अपने कंप्यूटर संसाधन पर जानकारी के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करेगा।

आपत्तिजनक सामग्री या उनके खातों के निलंबन के बारे में उपयोगकर्ता की शिकायतों पर सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य मध्यस्थों की ओर से कार्रवाई या निष्क्रियता के बारे में शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने तीन शिकायत अपीलीय समितियों (जीएसी) की भी स्थापना की है, जैसा कि उक्त आईटी नियम, 2021 में प्रावधान किया गया है, ताकि उपयोगकर्ता शिकायतों पर मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील करने में उपयोगकर्ताओं को सक्षम बनाया जा सके।

यह भी सूचित किया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ख और 67क में बच्चों को यौन कृत्य में दर्शाने वाली ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण, पाठ या छवियों के निर्माण, संग्रह, मांगने, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग, विज्ञापन, प्रचार, आदान-प्रदान या वितरण करने के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें उन्हें अश्लील या अभद्र या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से चित्रित किया गया है। स्पष्ट रूप से या अपमानजनक तरीके से, उनके ऑनलाइन दुरुपयोग को सुविधाजनक बनाना, और बच्चों के साथ यौन रूप से स्पष्ट कार्य से संबंधित दुर्व्यवहार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड करना। इस तरह के अपराध के लिए पहली बार दोषी पाए जाने पर पांच साल तक की कैद और बाद में दोषी पाए जाने पर सात साल की कैद और दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चूंकि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार, संज्ञेय अपराधों की रोकथाम और जांच पुलिस द्वारा की जानी है और संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए बच्चों के प्रति ऐसे साइबर अपराध की रोकथाम, जांच आदि के लिए राज्य प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। तदनुसार, राज्य पुलिस विभाग बच्चों के प्रति साइबर अपराध के संबंध में कानून के अनुसार निवारक और दंडात्मक कार्रवाई करते हैं।

समन्वित तरीके से ऐसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित सहित कई अन्य उपाय भी किए हैं

(i) गृह मंत्रालय बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ नागरिकों को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) संचालित करता है। मंत्रालय ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध सहित सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की भी स्थापना की है।

(ii) गृह मंत्रालय ने साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के काम कों , लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण के लिए महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध निवारण योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब तक, 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं।

(iii) सरकार ने इंटरपोल के लिए भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से इंटरपोल से प्राप्त सूचियों के आधार पर समय-समय पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) वाली वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है।

(iv) सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्हें इंटरनेट वॉच फाउंडेशन, यूके या प्रोजेक्ट अरचिनिड, कनाडा को गतिशील आधार पर सीएसएएम वेबसाइटों / वेबपेजों की सूची को लागू करने और ऐसे वेब पेजों या वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

(v) दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) से माता-पिता के नियंत्रण फिल्टर के उपयोग के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया है, और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस वाले आईएसपी को भी निर्देश दिया है कि वे सीएसएएम युक्त कुछ वेबसाइटों को ब्लॉक करें।

(vi) केन् द्रीय माध् यमिक शिक्षा बोर्ड ने इंटरनेट के सुरक्षित इस् तेमाल के बारे में स् कूलों को 18.08.2017 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश स्कूलों को सभी कंप्यूटरों में प्रभावी फ़ायरवॉल स्थापित करने, फ़िल्टरिंग और सॉफ़्टवेयर तंत्र की निगरानी करने और प्रभावी सुरक्षा नीतियों को तैनात करने का निर्देश देते हैं।

(vii) साइबर अपराध पर जागरूकता फैलाने के लिए, गृह मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं जिनमें ट्विटर हैंडल @cyberDost के माध्यम से साइबर अपराध पर संदेशों का प्रसार, रेडियो अभियान और किशोरों / छात्रों के लिए एक पुस्तिका का प्रकाशन शामिल है।

(viii) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, सरकारी कर्मियों को प्रशिक्षित करने और उपयोगकर्ताओं के लिए बड़े पैमाने पर सूचना सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) चरण - II परियोजना को लागू कर रहा है। इसके तहत, देश भर में बड़ी संख्या में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, राज्य साइबर सेल/पुलिस विभागों के सहयोग से चुनिंदा शहरों में आयोजित साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह, दूरदर्शन/आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अप्रत्यक्ष मोड में करोड़ों उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रिंट और डिजिटल मोड में प्रकाशित द्विमासिक समाचार पत्र, और हैंडबुक, मल्टीमीडिया लघु वीडियो, पोस्टर आदि के रूप में बहुभाषी जागरूकता सामग्री, जिसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया है और आईएसईए जागरूकता पोर्टल (www.infosecawareness.in) पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया गया है।

(ix) भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और संयुक्त राज्य अमेरिका के लापता और शोषित बच्चों के लिए राष्ट्रीय केंद्र के बीच उक्त केंद्र से ऑनलाइन बाल स्पष्ट सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री पर टिपलाइन रिपोर्ट साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्र से प्राप्त टिप लाइनों को आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ऑनलाइन साझा किया जाता है।

(ङ) और (च) साइबर अपराधों सहित अपराधों से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा राज्य पुलिस और अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सूचित आंकड़ों के आधार पर रखे जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन अश्लील सामग्री के परिचालन के संबंध में दर्ज किए गए मामलों की संख्या के संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़े उसके द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, साइबर अपराधों की श्रेणी के अंतर्गत सूचना

प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/यौन कृत्य का प्रसारण उप-श्रेणी के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों का राज्य-और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

राधों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप (आईटी अधिनियम की धारा 67) में अश्लील/यौन कृत्य के प्रकाशन/प्रसारण के तहत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार
मले (सीसीएस), दोषी ठहराए गए मामले (सीओएन), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), चार्जशीट किए गए व्यक्ति (पीसीएस) और दोषी व्यक्ति

2019						2020							
ोआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस
25	5	0	22	18	0	46	9	0	11	12	0	57	5
5	0	0	1	0	0	3	1	0	1	1	0	9	2
731	126	13	359	161	13	1132	119	0	527	120	0	1652	276
8	5	0	4	5	0	75	55	0	60	55	0	6	5
65	40	0	41	40	0	107	71	1	87	79	1	164	104
2	5	0	0	5	0	6	2	0	3	2	0	8	6
67	55	0	75	62	0	86	66	0	87	85	0	145	129
139	51	2	93	76	5	193	97	0	134	127	0	192	93
43	11	0	21	12	0	64	24	0	33	28	0	31	34
7	2	0	0	3	0	18	10	0	8	12	0	30	10
283	24	1	57	30	1	406	43	0	90	48	0	525	87
112	68	1	85	78	1	201	82	0	183	89	0	253	141
163	106	4	174	125	7	134	119	3	132	132	3	127	122
122	48	0	72	60	0	255	114	0	160	135	0	172	117
3	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	2	1
12	0	0	0	0	0	26	0	0	1	0	0	23	0
1	1	0	1	1	0	2	1	1	1	1	1	2	2
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0
397	113	0	172	187	0	524	209	0	273	295	0	565	213
68	36	1	83	48	1	123	28	0	58	32	0	149	36
112	45	2	56	57	6	107	44	3	68	64	3	126	38
2	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	63	5	160	86	7	399	93	6	262	164	7	242	78
139	101	3	30	126	3	97	15	0	60	37	0	95	39
9	1	0	1	1	0	17	4	0	4	4	0	8	7
430	633	51	953	885	59	2120	1082	52	1527	1574	67	1679	1116
18	11	0	16	18	0	47	21	0	28	26	0	65	39
52	7	2	29	10	2	23	5	0	9	8	0	18	35
172	**1558**	**85**	**2511**	**2096**	**105**	**6216**	**2314**	**66**	**3807**	**3130**	**82**	**6349**	**2735**
0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	1	1
3	0	1	2	0	1	5	0	0	1	0	0	3	0
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1